—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 212/2012

उनवान

1. सुगनचन्द पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवकता श्री कैलाश बीजावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 29.11.24

प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय से इन निर्देशों के साथ प्राप्त हुआ है कि प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम कर पक्षकारन को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे।

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद के वंर्किग खसरा नम्बर 3164 रकबा 0.21 (1—5—10) की आराजी वादी ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.01.78 को पोखर पुत्र चतरा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। विक्रय पत्र की पालना में वादी के पक्ष में आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण दिनांक 26.05.87 को किया गया। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 4366 रकबा 0.21 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घेषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में निमन तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?
—— वादी

2. . अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य वादी बंद की गयी।

राज. पैरोकर ने भी साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:24:10 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

तनकी संख्या 1:–

वादी द्वारा वंर्किग खसरा नम्बर 3164 की वंर्किग जमाबंदी पेश नही की है। खसरा गिरदावरी के कालम संख्या 5 में वंर्किग खसरा नम्बर 3164 रामलाल, मोती पि. पूसा व पोखर पुत्र चतरा के नाम अंकित है। किन्तु विक्रय पत्र में भूमि मात्र पोखर पुत्र चतरा द्वारा ही बैचान की गयी है। शेष खातेदार को वादी द्वारा प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब नही किया गया है। वंर्किग जमाबंदी का इन्द्राज बिना किसी नामान्तकरण के किया गया है, अतः आराजी मुतनाजा सही रूप से सिवायचक दर्ज की गयी है। आराजी मुतनाजा की वर्किगं जमाबंदी से पहले की जमाबंदी वादी द्वारा पेश नही की गयी है। आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त के भी कोई दस्तावे पत्रावली पर नही है। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशो के बावजूद अधिवक्ता वादीग द्वारा वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से वाद के कथनों की ताईद नही होती है। हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम सनोद की आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 4366 रकबा 0.21 पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:24:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सुगनचन्द बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 212/2012
पेश करने की दिनांक – 10.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक कैलाश बीजावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम सनोद की आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 4366 रकबा 0.21 पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २७ माह ११ सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:24:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद